No. 3612/15-7-161/ 291/92

From

Shri. Ashok Ganguly
Deputy Secretary
U.P Govt.

To

Secretary
Central Board of Secondary Education
District Centre, 2 Community Centre,
Preeti Vihar, New Delhi.

Education (7)Dept. Lecknow Dt. August 1995.

Sub. ST. THOMAS SCHOOL, SECTOR 4 LAJPAT NAGAR SAHIBABAD, GHAZIABAD , AFFILIATION TO THE CBSE - ISSUE OF NO OBJECTION CERTIFICATE REGARDING.

Sir,

On the above mentioned subject, I am directed to say that subject to the following condition the State Govt. have No objection in granting affiliation by the C B S C to St. Thomas School, sector-4, Lajpat Nagar, Sahibabad.

(1) The registration of the society whic h runs the school wil be renewed from time to time.

(2) A nominee of the Director of Education will be appointed to the Governing Body.

(3) 10% of the seatswill be reserved for children of SC/ST and they will not be c harged more than the fees payable by them in the schools run by the Board of Secondary Education, Utter Pradesh.

(4) The Institution will not seekrecognition from the State Govt. If already recognised by the Board of Secondary Education/ Basic Education Board and the school to affiliated to the CBSE / Council for the Indian School Certificate Examination New Delhi; subsequently, the recognition from the State Govt. will automatically be cancelled from the date of affiliation to the above Board/ Council.

(5) The teaching and non teaching staff will not be paid the pay and allowences less than that paid to Govt.aided schools.

(6) The service condition of employees will be made and these condition will be comparable to non-Govt. (aided) Higher Secondary School .

(7) The institution will follow the instruction issued by the State Govt. fsom time to time.

(8) The records of the school will be maintained in the prescribed terms/register.

(9) The above condition will not be altered/reduced or relaxed without the approval of the State Govt.

Scanned with CamScanner

2. It is also stipulated that there are no untrained teachers in the school and the nursery classes are not conducted by the school is recognised from class I onwards only.

3. The institution has to strictly follow the above condition and if at any time its found that the institution is not following the above conditions or has deviated or relaxed the above condition, the State Govt. shall with draw the + + above permission.

प्रेषक,

संख्या- 3612/15-7-16(1)29(1)/92.

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: अगस्त, 1995.

विषय:- सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-5 राजेन्द्रनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-5, राजेन्द्रनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

(1)- विद्यालय को पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2)- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3)- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4)- संस्था द्वारा राज्यसरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(5)- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

(6)- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(7)- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

(8)- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9)- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जाये ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में अप्रशिक्षित अध्यापिकायें कार्यरत नहीं है तथा नर्सरी कक्षायें विद्यालय में संचालित नहीं है । यह विद्यालय कक्षा-1 से मान्य किया जाय ।

---2/-

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

आदेश,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

संख्या- 3612(1)/15-7-16(1)29(1)/92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ
5- प्रबन्धक, सेन्ट थामस स्कूल, 5 लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद ।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

(6)

प्रेषक,

उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
18 पार्क रोड,
शिविर कार्यालय,
लखनऊ ।

पत्रांक/मा0/ /93-94 दिनांक: 29/9/93

विषय:- सेन्ट थामस स्कूल(अंग्रेजी माध्यम) सेक्टर-4लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना

महोदय,

निवेदन है कि सेन्ट थामस स्कूल, गाजियाबाद ने सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन से आवेदन पत्र किया है । दिनांक 21/08/1993 को विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर जाँच आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नः- उक्तवत्

भवदीय

डा0(आर0पी0ध्यानी)
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पृ0सं0/मा0/ 1955-55 /93-94 उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा(7)अनुभाग, लखनऊ ।

2- प्रबंधक, प्रधानाचार्य, सेन्ट थामस स्कूल, सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद (गाजियाबाद) ।

डा0(आर0पी0ध्यानी)
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

बोरा/1993

(7)

प्रेषक,

उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
18 पार्क रोड,
शिविर कार्यालय,
लखनऊ ।

पत्रांक/मा0/ /93-94 दिनांक: 29/9/93

विषयः- सेन्ट थामस स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना
====

महोदय,

निवेदन है कि सेन्ट थामस स्कूल, गाजियाबाद ने सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एज्युकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन से आवेदन पत्र किया है । दिनांक 21/08/1993 को विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर जाँच आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नः- उक्तवत्

भवदीय

डा0 (आर0पी0 त्यागी)
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पृ0सं0/मा0/ 1965-59 /93-94 उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ ।

2- प्रबंधक, /प्रधानाचार्य, सेन्ट थामस स्कूल, सेक्टर-4 लाजपतनगर, साहिबाबाद (गाजियाबाद) ।

डा0 (आर0पी0 त्यागी)
उप शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

बोरा/1993

(8)

प्रिय शाकिर अली जी,

मैं यह प्रार्थना पत्र सेंट थामस आपोजिम्स चर्च सोसायटी (रजि0) गाजियाबाद की सी0 बी0 एस0 इ0 से मान्यता के लिए आपके एन0 ओ0 सी0 के लिए प्रेषित कर रहा हूँ, जिसकी फाइल आपकी मान्यता के लिए आपके आफिस में ही है।

सैंन्ट थोमस स्कूल आठवीं कक्षा तक शिक्षा देने में समर्थ हूँ और अगर इसे सी0 बी0 एस0 इ0 से **मान्यता नहीं** मिली तो इस करीब 1500 विद्यार्थी व उनके अभिभावक परेशान होगें।

अतः आशा है कि उपरोक्त स्कूल की सी.बी.एस.इ. से मासन्यता के लिए आप शीघ्र ही एन. ओ. सी. प्रदान करेगें।

धन्यवाद

(के0 सी0 त्यागी)

शी शाकिर अली,
शिक्षा मन्त्री,
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ।

प्रेषक,

संख्या- 3612/15-7-16(1)29(1)/92.

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 1995.

विषय:- सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-5 राजेन्द्रनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

===

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-5, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

(1)- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2)- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3)- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4)- संस्था द्वारा राज्यसरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5)- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6)- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7)- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(8)- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9)- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जाये।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में अप्रशिक्षित अध्यापिकायें कार्यरत नहीं है तथा नर्सरी कक्षायें विद्यालय में संचालित नहीं है। यह विद्यालय कक्षा-1 से मान्य किया जाए।

---2/-

5- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

ह0 —

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

संख्या- 3612(1)/15-7-16(1)29(1)/92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ
5- प्रबन्धक, सेन्ट थामस स्कूल, 4 लाजपतनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद ।

आज्ञा से,

ह0 —

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

प्रेषक,   संख्या- 3612/15-7-16(1)(281)/92.

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 1995.

विषय:- सेन्ट जोसफ स्कूल सेक्टर-4 राजेन्द्रनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट जोसफ स्कूल सेक्टर-4, राजेन्द्रनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

(1)- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2)- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3)- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4)- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5)- शिक्षक, शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के समान वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6)- कर्मचारियों की सेवा शर्तें [illegible] और उन्हें मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7)- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(8)- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9)- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जाये।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में अपेक्षित अवस्थापनायें उपलब्ध नहीं हैं तथा सारी शर्तें विद्यालय में लागू नहीं हैं। यह विद्यालय कक्षा-1 से प्रारम्भ किया जाय।

----2/-

प्रेषक,   संख्या- 3612/15-7-16(1)281/92.

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 1995.

विषय:- सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-4 राजेन्द्रनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट थामस स्कूल सेक्टर-4, राजेन्द्र-नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

(1)- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराना होगा।

(2)- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3)- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगे और इसी प्रकार प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4)- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5)- शिक्षक, शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु प्रचलित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6)- कर्मचारियों की सेवा शर्तें वही लागू होंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7)- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(8)- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9)- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जाये।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में अनुचित क्रियाकलाप संचालित नहीं है तथा सारी कक्षायें विद्यालय में संचालित नहीं है। यह विद्यालय कक्षा-1 से प्रारम्भ किया जाय।

----2/-

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

अशोक चतुर्वेदी।
उप सचिव।

संख्या- 3642(1)/15-7-16(1291)/92, तद्दिनांक

- -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद
4- निदेशक, अखिल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ
5- प्रबन्धक, [illegible] स्कूल, 6 [illegible] नगर, [illegible], गाजियाबाद।

आज्ञा से,

अशोक चतुर्वेदी।
उप सचिव।

3612/15-2

भारत ... की सेवा के लिये

प्रिंसिपल
सेन्ट थामस स्कूल
5. लाजपत नगर, साहिबाबाद
गाजियाबाद